

संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा प्रदान सहायता से, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में "डिजिटल एन प्रोसेसिंग कौन्सिलिंग सिस्टम" शीर्षक एक परियोजना चल रही है। यह परियोजना नवम्बर, 1968 से चल रही है और 30 जून, 1971 को समाप्त होनी है। इसकी कुल लागत 4,97,200 रुपये है और उसमें से 2,93,400 रुपये संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता के रूप में प्राप्त हुए हैं। इससे कर्मचारियों और विद्यार्थियों को संचार और दृश्य साधनों की आधुनिक पद्धतियों में प्रशिक्षण देने में सहायता मिलेगी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं :—

(1) कर्मचारियों, विद्यार्थियों, कृषकों, सामुहिक दलों, सरकारी अभिकरणों तथा जनता के लिये अच्छी शिक्षण सामग्री की रूप-रेखा तैयार करना, उन्हें बनाना तथा उनका सुदृष्ट करना।

(2) शिक्षण जानकारी के अच्छे संचारण के लिये फलेनल-ग्राफस, फिलम-चार्ट, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स और फोल्डर जैसे दृश्य साधन तैयार करना।

(3) विश्वविद्यालय के परिसर कर्मचारियों तथा क्षेत्र एककों के लिए उपलब्ध शिक्षण सम्बन्धी सामग्री नियमित सप्ताह बनाये रखना।

(4) विश्वविद्यालय के समस्त अनु-गामियों को निरन्तर रूप से आधुनिकतम जानकारी प्रदान करना।

(5) सूचना के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों के प्रयत्नों का एकी-करण करना।

(6) विश्वविद्यालय के संकाय और विद्यार्थियों को [दृश्य-श्रव्य, प्रौद्योगिकी] के प्रयोग की तकनीकें सिखाना।

मध्य प्रदेश में कम्प्रेसरों की कमी

3636. श्री गंगा चरण बीकित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नल-कूप लगाने के लिए आवश्यक कम्प्रेसरों की कमी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या नल-कूपों के ठीक प्रकार से संचालन के लिए अपेक्षित इस प्रकार के महत्वपूर्ण औजार की कमी का कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हाँ। मध्य प्रदेश के नलकूप निदेशालय में नलकूपों के विकास के लिए कम्प्रेसरों की कुछ कमी है।

(ख) और (ग). नलकूप निदेशालय, मध्य प्रदेश अतिरिक्त कम्प्रेसरों की खरीद के सम्बन्ध में पहले ही विचार कर रहा है।

मध्य प्रदेश में डेयरी संबंध लगाने के लिये केन्द्रीय सहायता

3637 : श्री गंगा चरण बीकित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में एक डेयरी मंत्रालय स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता माँगी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश सरकार का रायपुर तथा उज्जैन में 6,000 लिटर प्रति दिन क्षमता की दो नगर दुग्ध आपूर्ति योजनायें तथा रतलाम, खडवा, बुरहानपुर, सागर, कटनी, रेखा और बिलामपुर में 2,000 लिटर प्रति दिन क्षमता की 7 लघु नगर दुग्ध आपूर्ति योजनायें स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी हां।

(ग) क्योंकि ये योजनाएँ प्लान में सम्मिलित हैं, अतः इन्हें केन्द्रीय आर्थिक सहायता दी जा सकती है। फिर भी, सहायता की राशि प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली राशि पर निर्भर करेगी और इसे राज्यों को ब्लॉक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दिया जायेगा।

Absorption of labourers working under the Contractors of F.C.I., Darbhanga, Bihar

3638 SHRI BHOGENDR A JHA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether several persons have been doing the work of handling and transporting of foodgrains under the contractors appointed by the Food Corporation of India from 1957 to 1971 at Jai Nagar in District Darbhanga, Bihar;

(b) whether it is now proposed to undertake the work departmentally by keeping labourers on monthly payment basis; and

(c) whether the labourers already working for the Food Corporation of India under the contractors appointed by it will be absorbed as labourers under the new set up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAH B P. SHINDE) : (a) Yes, Sir; but the Food Corporation of India took over Jai Nagar depot from 26-12-1967.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Amendment of prevention of cruelty to Animals Act, 1960.

3639. SHRI BRIJ RAJ SINGH KOTAH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision about amending the prevention of cruelty to Animals Act, 1960; and

(b) if so, when an amending Bill is likely to be brought before Parliament?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH) : (a) Government have decided that it is not necessary to undertake legislation to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, for the present.

(b) Does not arise.

National Social Security Scheme

3640. SHRI BRIJ RAJ SINGH KOTAH: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :